



भारत सरकार

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(गोपनीय शाखा)

दुरभाष सं०:-06432-232680

फैक्स-06432-232967

ई-मेल:-dcdeoghar@gmail.com

आदेश

कोरोना वायरस (COVID19) की रोकथाम के लिए घोषित सम्पूर्ण तालाबन्दी (Lockdown) के दौरान इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक- 342/गो०, दिनांक- 24.03.2020 द्वारा Social Distancing एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी मानकों के अनुपालन के शर्त के साथ दिनांक- 31.03.2020 तक के लिए खाद्य सामग्रियों, राशन दुकानों, फल, सब्जी, दूध एवं Groceries की दुकानों के लिए प्रातः 07:00 बजे से अप० 01:00 बजे तक की समयावधि निर्धारित की गई थी।

कई श्रोतों से यह जानकारी प्राप्त हो रही है कि Groceries की दुकानों में कम समय मिल पाने के कारण भीड़ हो जा रही है एवं Social Distancing का अनुपालन नहीं हो पा रहा है। इस संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा भी समयावधि में छूट दिये जाने का निदेश प्राप्त हो रहा है। उपरोक्त स्थिति में Lockdown की सम्पूर्ण अवधि तक के लिए Groceries की दुकानों को निर्धारित समयावधि से मुक्त किया जाता है एवं Social Distancing तथा स्वास्थ्य संबंधी निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन करते हुए दुकान संचालित करने का आदेश दिया जाता है।

H. K. J.
8/4/2020

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
देवघर

ज्ञापांक.....447...../गो०, देवघर, दिनांक.....08.....अप्रैल, 2020 ई०।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, देवघर/उप विकास आयुक्त, देवघर/अपर समाहर्ता, देवघर/अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर एवं मधुपुर/जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, देवघर/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देवघर जिला/सभी अंचलाधिकारी, देवघर जिला/सभी थाना प्रभारी, देवघर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष/सचिव, संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स, देवघर/अध्यक्ष/सचिव, देवघर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, देवघर/ अध्यक्ष/सचिव, मधुपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मधुपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

H. K. J.
8/4/2020

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
देवघर